FORM NO III

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व त[illegible] अहकाम जो इस हु[illegible] तामील में जा[illegible]
2.6.18	पत्रावली न्याय आपके समक्ष अभियान 2018 कैम्प कोर्ट अटल सेवा केन्द्र सारसोप पेश हुई। वादी ने जरिये वकील उपस्थित हो निस्तारण चाहा। प्रतिवादी क्रमांक 1 लगायत 4 को 19.2.18 को रजिस्टर्ड (AD) नोटिस भेजे गये थे। A.D. आदिनांक तक अप्राप्त है। रजिस्टर्ड नोटिस जारी किये जाने के बाद तीन माह का समय व्यतीत हो चुका है परन्तु A.D. न्यायालय को वापस प्राप्त नहीं हुए है। ऐसे में प्रतिवादीगण की तामिल नियमानुसार माने जाते हुए। पत्रावली न्यायहित में प्रतिवादीगण को अंतिम अवसर दिये जाते हुए आगामी दिनांक 22.6.18 को पेश हो।	
22.6.18	पत्रावली आज पेश हुई। वकील वादी उपस्थित। प्रतिवादीगण 1 लगायत 4 को नोटिस जरिये रजिस्टर्ड एडी भिजवाये तीन माह से अधिक हो जाने के आधार पर तामिल मानते हुए उनके स्वयं या जरिये अधिवक्ता उपस्थित नहीं होने के कारण उनके विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लायी जाती है। प्रकरण संक्षेप में इस प्रकार से है कि वादीगण द्वारा पंजीकृत विक्रय पत्र से ग्राम सारसोप स्थित साबिक खसरा सं० 53 रकबा 1 बीघा 17 बिस्वा व खसरा सं० 53/2009 रकबा 16 बिस्वा यानी कुल 2 बीघा 13 बिस्वा भूमि सम्पूर्ण प्रतिवादीगण सं० 1 लगायत 4 से क्रय की थी। इस विक्रय पत्र के आधार पर नामान्तरकरण सं० 205 दर्ज किया जाकर ग्राम सारसोप के साबिक खसरा 53 व 53/2009 कुल किता 2 कुल रकबा 2 बीघा 13 बिस्वा सम्पूर्ण में तुलसीराम, लालचंद, राजेश, अशोक कुमार पि० किसनलाल की बजाय नवीन अकेन रामफूलाल, चईयालाल पि० मानकराम जाति मीना होना	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यावाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामीर में जारी हुए
	स्वीकार किया गया। इस नामान्तरकरण सं० २०5 को सेवत् २०५१ से २०५५ की जमाबंदी में नोट लगाते समय राजस्व कर्मियों द्वारा सहवन से गलत नोट" नाम० सं० 205/28.7.2000 के अनुसार खसरा 53 रकबा 1 बीघा 17 बिस्वा खसरा 53/2009 रकबा 16 बिस्वा कुल रकबा २ बीघा 13 बिस्वा का इन्द्राज रामजीलाल, चम्पालाल पि० नानकराम जाति मीना हि० ½ बराबर जरिये विक्रय पत्र स्वीकार" अंकित कर दिया गया। दौराने सेटलमेन्ट खसरा 53/2009 के नवीन खसरा 1329 रकबा 0.20 हैक्टर एवं खसरा 53 के नवीन खसरा 1330 रकबा 0.47 हेक्टर बना कर आधार वर्ष की जमाबंदी में गलत नोट अनुसार नाम० सं० 205 का नोट अंकित करते हुए हि० ½ दर्ज कर दिया गया जो कि गलत अंकित किया गया। वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड में भी जमाबंदी संवत् 2073-76 नवीन ख.सं. 1329 व 1330 कुल किता २ कुल रकबा 0.67 हेक्टर में प्रतिवादीगण सं० 1 लगायत 4 का ½ हिस्सा अंकित है जो गलत है। वादीगण ख० सं० (नवीन) 1329 व 1330 कुल किता दो कुल रकबा 0.67 हेक्टर सम्पूर्ण स्वयं के नाम दुरुस्त करवाते हुए खातेदारी घोषणा चाहते हैं। प्रतिवादीगण 1 लगायत 4 के बावजूद सूचना अनुपस्थित रहने के आधार पर एकपक्षीय कार्यवाही की गयी। बहस एकपक्षीय सुनी गयी। पत्रावली का अवलोकन कर मनन करने पर पाया गया कि वादीगण द्वारा 13.7.2000 को जरिये पंजीकृत विक्रय पत्र ग्राम नारसरपुरा के साबिक खसरा० 53 व 53/2009 कुल किता २ कुल रकबा २ बीघा 13 बिस्वा सम्पूर्ण जिसके हाल ख.नं० 1329 व 1330 कुल किता दो कुल रकबा 0.67 हेक्टर है क्रय किये गये थे एवं नामान्तरकरण सं० 205 निर्णय दिनांक 28.7.2000 से सही दर्ज किया जाकर स्वीकृत किया गया था परन्तु इस नामा० का नोट तत्कालीन जमाबंदी संवत् २०५१ से २०५५ एवं आधार वर्ष की जमाबंदी में गलत अंकित किया जिससे वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड में खसरा 1329 व 1330 कुल रकबा 0.67	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यावाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व अहकाम जो तामील में
	में प्रतिवादीगण का हि० $\frac{1}{2}$ व वादीगण का हि० $\frac{1}{2}$ दर्ज है। वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदी ग्राम सारसोप संवत् 2073-76 में खाता सं० 362 में हिस्से की शुद्धि किया जाना उचित है। अतः ग्राम सारसोप के वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदी संवत् 2073-76 के खाता सं० 362 में तुलसीराम, लालचंद, राजेश, अशोक कुमार पि० किशनलाल का नाम हजफ किया जाकर वादीगण रामजीलाल, चम्पालाल पि० नानकराम को खसरा० 1329, 1330 कुल किता दो कुल रकबा 0.67 हि० सम्पूर्ण का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। पत्रावली फैसलशुमार हो दर्ज रजि० से कम हो।	

Scanned by CamScanner